भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 448
मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सरकार की सौर ऊर्जा पहल के अंतर्गत आने वाली योजनाएं</u>

448. सुश्री कविता पाटीदारः
श्री दीपक प्रकाशः
श्री पबित्र मार्गेरिटाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं जो सरकार की सौर ऊर्जा पहल के अंतर्गत आती हैं; और

(ख) क्या सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की जाती है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): एमएनआरई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान है, इसमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

i रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II
ii सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनैक्टेड फोटोवोल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)
iii उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'
iv सौर पार्क योजना
v पीएम- कुसुम योजना
vi प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत नवीन सौर विद्युत योजना (पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत एमएनआरई द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता या सब्सिडी का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"सरकार की सौर ऊर्जा पहल के अंतर्गत आने वाली योजनाएं" के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.02.2024 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 448 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार इस समय पात्र प्रोत्साहन
क) ग्रिड कनेक्टड रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	रूपटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता की स्थापना की व्यवस्था की गई है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए पहली 3 किलोवाट आरटीएस क्षमता के लिए 18000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक आरटीएस क्षमता के लिए के लिए 9000 रुपये प्रति किलोवाट सीएफए स्वीकार्य है। विशेष श्रेणी के राज्यों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र) के लिए, स्वीकार्य सीएफए प्रथम 3 किलोवाट आरटीएस क्षमता के लिए 20000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक आरटीएस क्षमता के लिए 10000 रुपये प्रति किलोवाट है। आवासीय कल्याण समिति/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) भी अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक साझा सुविधाओं के लिए आरटीएस स्थापना हेतु सीएफए का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। सामान्य श्रेणी के राज्यों में आरडब्ल्यूए/जीएचएस के लिए स्वीकार्य सीएफए 9000 रुपये प्रति किलोवाट और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10000 रुपये प्रति किलोवाट है। चरण-II के रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम का वित्तीय परिव्यय 11,814 करोड़ रुपये है जिसमें 6,600 करोड़ रुपये का सीएफए और वितरण कंपनियों को 4,985 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्यक्रम का विस्तार दिनांक 31.03.2026 तक किया गया है।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा, (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (अधिकतम विद्युत की क्षमता एवं ताप गुणांक (टैंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि का प्रतिशत।
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
ङ) पीएम-कुसुम योजना	घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित

<table>
<tr><td></td><td>प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।

घटक-ख: 14.00 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।

उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।

घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।

उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम जनमन) के तहत नवीन सौर विद्युत योजना (पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)</td><td>प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम जनमन) के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2024 को एक नई सौर विद्युत योजना (पीवीटीजी आवास/गाँवों के लिए) जारी की है। इस योजना के तहत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान से पीवीटीजी क्षेत्र में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों (एचएचएस) का विद्युतीकरण शामिल होगा जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
इसके अलावा इस योजना में पीवीटीजी क्षेत्र में 1500 बहु-उद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) में सौर प्रकाश उपलब्ध कराने का प्रावधान है जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं है। योजना के तहत कुल 515 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है। योजना में स्टैण्डअलोन सौर होम लाइटिंग प्रणालियों के माध्यम से घरों (एचएच) के विद्युतीकरण का प्रावधान है जहां पर घर (एचएच) बिखरे हुए हैं और एचएच के क्लस्टर के लिए मिनी-ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण का प्रावधान है।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>घटक</th><th>केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1 लाख पीवीटीजी परिवारों (एचएच) के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रुपए प्रति परिवार अथवा वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऐसे पीवीटीजी क्षेत्र जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली संभव नहीं है, में 1500 बहु-उद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) में सौर स्ट्रीट लाइटिंग और लाइटिंग का प्रावधान</td><td>1 लाख प्रति बहु-उद्देशीय केंद्र</td></tr>
</table></td></tr>
</table>
